दुनिया में अगर छोड़ने
जैसा कुछ है तो
दूसरों से उम्मीद करना
छोड़ दो । -अज्ञात

विचार-प्रवाह देहरादून, बृहस्पतिवार 1 जुलाई 2021

पेज थ्री
www.page3news.in

# लॉकडाउन मजबूरी का विकल्प

**स्वास्थ्य मंत्रालय का सुझाव है कि इन जिलों में आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सख्त लॉकडाउन लागू किया जाए। यों तो इस संबंध में अंतिम फैसला संबंधित राज्य सरकारों से विचार–विमर्श के बाद लिया जाना है, उसके मद्देनजर इस फैसले पर अमल में देर नहीं की जानी चाहिए।**

मनमोहन वर्मा।।

कोरोना की दूसरी लहर से देशभर में जो इलाके सबसे अधिक प्रभावित हैं, सिर्फ वहां लॉकडाउन लगाने का विचार व्यावहारिक तकाजों के मुताबिक ही है। पिछले साल के देशव्यापी लॉकडाउन के तल्ख अनुभवों को देखते हुए केंद्र सरकार ने इस बार लॉकडाउन का फैसला राज्य सरकारों पर छोड़ा है। राज्य अलग–अलग हिस्सों में संक्रमण की स्थिति और आर्थिक गतिविधियों की अनिवार्यता संबंधी दोनों पहलुओं पर गौर करते हुए यह फैसला कर रहे हैं कि कहां किस तरह की पाबंदियां लगनी चाहिए। मगर धीरे–धीरे यह भी महसूस किया जा रहा है कि यह फैसला पूरी तरह राज्य सरकारों पर छोड़ना मुनासिब नहीं है। राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर तालमेल के साथ चला जाए तो अपेक्षाकृत कम समय में बेहतर नतीजे हासिल किए जा सकते हैं। इसी सोच के तहत स्वास्थ्य विभाग ने देश भर में ऐसे 150 जिलों की पहचान की है, जहां पॉजिटिविटी रेट 15 फीसदी से ऊपर पाई गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय का सुझाव है कि इन जिलों में आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सख्त लॉकडाउन लागू किया जाए। यों तो इस संबंध में अंतिम फैसला संबंधित राज्य सरकारों से विचार–विमर्श के बाद लिया जाना है, लेकिन हालात जिस तेजी से बिगड़ते जा रहे हैं उसके मद्देनजर इस फैसले पर अमल में देर नहीं की जानी चाहिए।

इसमें कोई शक नहीं कि लॉकडाउन मजबूरी का विकल्प है। लेकिन देश के बड़े हिस्से में महामारी की जो स्थिति है, उसमें लॉकडाउन जैसा कड़ा और अप्रिय कदम उठाना अनिवार्य होता जा रहा है। इससे पहले कि देशव्यापी लॉकडाउन के हालात बन जाएं, सर्वाधिक प्रभावित इलाकों की पहचान कर वहां इस वायरस की चेन तोड़ना जरूरी है ताकि अन्य क्षेत्र इसकी चपेट में आने से बच सकें। यह स्पष्ट है कि इस संक्रमण को नियंत्रित करने के दो ही तरीके हैं। एक, भीड़ इकट्ठी न होने पाए और सामाजिक दूरी बनाए रखी जाए और दो, अधिक से अधिक लोगों को वैक्सीन के सुरक्षा घेरे में लाया जाए। वैक्सीन का उत्पादन बढ़ाने की तमाम कोशिशों के बीच भी यह स्पष्ट हो गया है कि 18 साल से ऊपर के लोगों को बड़े पैमाने पर टीके की जद में लाने का काम अगले महीने के दूसरे–तीसरे सप्ताह तक ही शुरू हो पाएगा। तब तक संक्रमण को यथासंभव रोके रखने का यही उपाय हो सकता है कि जिन इलाकों में वायरस के सबसे ज्यादा फैलने की आशंका हो, वहां सख्त लॉकडाउन घोषित किया जाए और देश के बाकी इलाकों में सावधानी के साथ आर्थिक गतिविधियां चलने दी जाएं ताकि महामारी और अर्थव्यवस्था दोनों मोर्चों पर स्थिति संभली रहे।

जरूरी यह भी है कि टीके उपलब्ध हो जाने के बाद जब जोर–शोर से वैक्सिनेशन ड्राइव शुरू की जाए, तब भी इन 150 जिलों को प्राथमिकता में रखा जाए ताकि लॉकडाउन की सख्ती से मिला फायदा हाथ से निकल न जाए।

## देवी की शक्ति

धर्म-दर्शन

**अशोक वोहरा।** दुर्गा के पास कोई राज्य नहीं था, कोई सेना नहीं थी। उनके पास सिर्फ अपनी शक्ति थी। महिषासुर भी कोई राजा नहीं था। उसके पास भी सिर्फ अपनी ही शक्ति थी। वह भी देवी पर मोहित था और उनसे विवाह करना चाहता था। लेकिन महिषासुर की शक्ति आसुरी शक्ति का प्रतीक थी। देवी की शक्ति दैवी या कल्याणकारी शक्ति का प्रतीक थी। यह सत्ता की नहीं, वृत्तियों की लड़ाई थी। इसलिए यह असत्य पर सत्य की विजय गाथा नहीं बनी। राम और रावण का युद्ध सीमित था। रावण का साम्राज्य नष्ट करने और सीता को प्राप्त कर लेने के बाद वह समाप्त हो गया। लेकिन महिषासुर से देवी का चलने वाला संघर्ष सतत है, क्योंकि वृत्तियां कभी नष्ट नहीं होतीं। स्त्री उन वृत्तियों के विरुद्ध आज भी अकेली ही लड़ती है।

# संपादकीय

## बड़ा जुर्माना

सबसे पहले तो बेहतर भारतीय सोशल मीडिया ऐप विकसित करने की जरूरत है, जो नागरिकों की डेटा संप्रभुता और प्राइवेसी को भी सुनिश्चित करेगा। दूसरी बात, कानून के हर उल्लंघन के लिए सोशल मीडिया प्लैटफॉर्मों पर जुर्माना लगाकर भारतीय कानूनों का सख्ती से पालन कराने की जरूरत है। अन्य देशों के ऐसे कई उदाहरण मौजूद हैं। साल 2019 में अमेरिका के फेडरल ट्रेड कमिशन ने उपभोक्ताओं के प्राइवेसी अधिकारों का उल्लंघन करने के लिए फेसबुक पर 5 अरब डॉलर जुर्माना लगाया था। 2017 में यूरोपीय यूनियन (ईयू) ने बाजार में प्रभुत्व का दुरुपयोग करने के लिए गूगल पर 2.8 अरब डॉलर जुर्माना लगाया था। अगर वे फिर भी भारतीय कानूनों का पालन नहीं करते हैं, तो सूचना प्रौद्योगिकी कानून, 2000 की धारा 79 के तहत उन्हें दिया संरक्षण हटा लेना चाहिए और उन्हें भारत के दीवानी व फौजदारी कानूनों का सामना करने देना चाहिए जैसा कि अखबारों में प्रकाशित चीजों के लिए संपादक करते हैं। भारत के राष्ट्रीय हित और राष्ट्रीय कानून की संप्रभुता की यही मांग है। भारत सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में कुछ चीनी ऐप्स पर पाबंदी लगा चुकी है, मगर फेसबुक, ट्विटर और ऐसे दूसरे सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाना ठीक नहीं। इसके प्रतिकूल असर हो सकते हैं। विदेशी स्वामित्व वाले सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म्स द्वारा पेश की गई चुनौतियों से निबटने के लिए दोहरे स्तर की रणनीति की जरूरत है।

मोदी की अप्रूवल रेटिंग अभी भी 63 फीसदी है और यह 50 फीसदी से नीचे नहीं गई है। अगर रेटिंग 50 फीसदी से कम हुई होती तो यह प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी के लिए खतरे की घंटी होती।

# पक्षपात के आरोप

ईशकरन सिंह भंडारी।।

सोशल मीडिया 20वीं सदी के अंत में अस्तित्व में आया और 21वीं सदी की शुरुआत में बिना निगरानी वाला व्यापक जनसंचार माध्यम बन गया। अखबार जैसे पारंपरिक मीडिया प्लैटफॉर्म के उलट यहां कोई 'संपादक' नहीं होता, जो तय करे कि क्या चीज प्रकाशित की जाए और क्या नहीं। संपादक परंपरागत रूप से न सिर्फ निगरानी रखते हैं, बल्कि अपने प्लैटफॉर्म पर किसी शख्स द्वारा लिखी बातों के लिए कानूनी तौर पर जिम्मेदार भी होते हैं।

संपादक विहीन सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म पर प्रकाशित बातों के लिए ऐसे प्लैटफॉर्मों की कोई कानूनी जिम्मेदारी नहीं होने की अवधारणा को मजबूत करने के लिए कुछ कानूनी बदलाव किए गए। उदाहरण के लिए यूएस कम्युनिकेशंस डिसेंसी एक्ट 1996 की धारा 230 यूजर्स द्वारा अपलोड किए गए कंटेंट की कानूनी जिम्मेदारी से सोशल मीडिया प्लैटफॉर्मों को बचाती है। इससे मिलता–जुलता प्रावधान भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी कानून, 2000 की धारा 79 में भी है, जो सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म को जिम्मेदारी से छूट देता है। यही वजह है कि यहां किसी कानून के उल्लंघन के लिए कंटेंट पोस्ट करने वाले यूजर निजी तौर पर जिम्मेदार होते हैं।

समस्या इन प्लैटफॉर्मों के खिलाफ पक्षपात के आरोपों के साथ शुरू हुई। ये प्लैटफॉर्म अब सिर्फ मध्यस्थ या बिचौलिए भर नहीं रह गए हैं। वे खास तरह की चर्चाओं को बढ़ावा दे रहे हैं और अपने अपारदर्शी एल्गोरिदम के आधार पर कुछ चर्चाओं पर रोक लगा रहे हैं। उदाहरण के लिए ट्विटर की बात की जाए तो यह शैडो बैनिंग, डाउनरैंकिंग, आर्बिट्रेरी सस्पेंशन ऑफ एकाउंट जैसे तरीकों का सहारा लेता है। यह 'संपादकीय' काम है।

इस मुद्दे को दुनिया भर में उठाया जा रहा है। अक्टूबर 2020 में अमेरिकी सीनेट ने ट्विटर के सीईओ जैक डोर्सी को तलब किया। उनसे खासतौर से पूछा गया कि कुछ ट्वीट क्यों हटा दिए गए, जबकि बाकी को रहने दिया गया। इसी तरह फेसबुक के चेयरमैन मार्क जुकरबर्ग से भी पक्षपात के आरोपों पर जवाब मांगा गया। भारतीय संसद ने भी फरवरी 2019 में जैक डोर्सी को तलब किया था। हालांकि उन्होंने हाजिर होने से इनकार कर दिया और ट्विटर के पब्लिक पॉलिसी प्रमुख कॉलिन क्रोवेल को अपने नुमाइंदे के तौर पर भेजा।

अब ट्विटर ने 'फैक्ट–चेक' की शुरुआत की है। यह भी संपादकीय काम है। इसी के तहत ट्विटर ने कथित कांग्रेसी टूल–किट पर बीजेपी नेताओं के कुछ ट्वीट्स पर मैनिपुलेटेड मीडिया का ठप्पा लगा दिया, जिस पर काफी विवाद हुआ। इसके नतीजे में दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने ट्विटर के एमडी मनीष माहेश्वरी को तलब किया और स्पेशल सेल की टीम 24 मई को ट्विटर इंडिया के दो दफ्तरों पर भी पहुंची।

इस साल फरवरी में भारत सरकार ने इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलजी रूल्स, 2021 जारी किया था। बड़े सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म को नए नियमों का पालन करने के लिए तीन महीने यानी 26 मई, 2021 तक का समय दिया गया था, जिसमें नाकाम रहने पर उन्हें इंटरमीडियरीज या मध्यस्थ की अपनी स्थिति गंवानी होगी। उन्हें भारत के मौजूदा कानूनों के तहत आपराधिक मुकदमे के लिए भी जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। शुरुआती विरोध के बाद इन कंपनियों ने 28 मई को गाइडलाइंस की शिकायत निवारण व्यवस्था का मोटे तौर पर पालन किया है, जबकि वट्सऐप ने 'संदेश के प्रथम निर्माता की पहचान' वाले हिस्से को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। लेकिन इतना ही पर्याप्त नहीं है। इन कंपनियों को भारत में अपने कामकाज में पारदर्शी और पक्षपातरहित होना होगा।

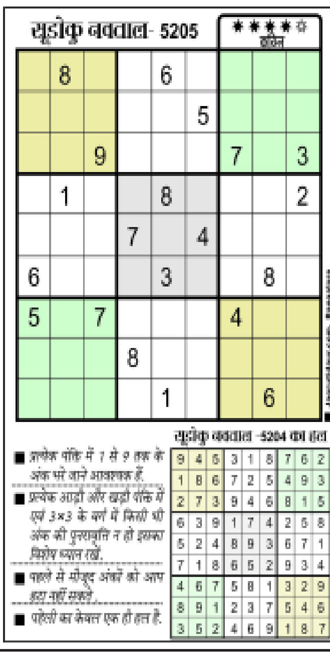

### सुडोकु नवताल- 5205

★★★★☆

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8 | | | 6 | | | | |
| | | | | | 5 | | | |
| | | 9 | | | | 7 | | 3 |
| | 1 | | | 8 | | | | 2 |
| | | | 7 | | 4 | | | |
| 6 | | | | 3 | | | 8 | |
| 5 | | 7 | | | | 4 | | |
| | | | 8 | | | | | |
| | | | | 1 | | | 6 | |

- प्रत्येक पंक्ति में 1 से 9 तक के अंक भरे जाने आवश्यक हैं।
- प्रत्येक आड़ी और खड़ी पंक्ति में एवं 3×3 के वर्ग में किसी भी अंक की पुनरावृत्ति न हो इसका विशेष ध्यान रखें।
- पहले से मौजूद अंकों को आप हटा नहीं सकते।
- पहेली का केवल एक ही हल है।

सुडोकु नवताल -5204 का हल

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 4 | 5 | 3 | 1 | 8 | 7 | 6 | 2 |
| 1 | 8 | 6 | 7 | 2 | 5 | 4 | 9 | 3 |
| 2 | 7 | 3 | 9 | 4 | 6 | 8 | 1 | 5 |
| 6 | 3 | 9 | 1 | 7 | 4 | 2 | 5 | 8 |
| 5 | 2 | 4 | 8 | 9 | 3 | 6 | 7 | 1 |
| 7 | 1 | 8 | 6 | 5 | 2 | 9 | 3 | 4 |
| 4 | 6 | 7 | 5 | 8 | 1 | 3 | 2 | 9 |
| 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 7 | 5 | 4 | 6 |
| 3 | 5 | 2 | 4 | 6 | 9 | 1 | 8 | 7 |

अपना ब्लॉग

## फेसबुक के लिए आदेश जारी

**मोहन।** हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री के एक ट्वीट पर आपत्ति करते हुए सिंगापुर सरकार ने स्थानीय कानून के तहत ट्विटर और फेसबुक के लिए आदेश जारी किया और उन्होंने आदेश पर फौरन अमल करते हुए जहां भी 'सिंगापुर स्ट्रेन' का जिक्र था, उसको हटा दिया। दूसरी ओर, भारत सरकार द्वारा कोरोना वायरस के 'इंडियन वेरिएंट' के संदर्भ वाले कंटेंट को हटाने के लिए कहने के बावजूद इस पर अभी तक अमल नहीं किया गया है। ऐसी घटनाएं भारत की छवि और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हैं। इस लेखक ने 28 जनवरी, 2019 को केंद्रीय गृहमंत्री को दिए मांगपत्र में सोशल मीडिया को भारतीय कानूनों के संबंध में ढिलाई के साथ काम करने की इजाजत दिए जाने पर राष्ट्रीय सुरक्षा जोखिमों को लेकर आगाह किया था।

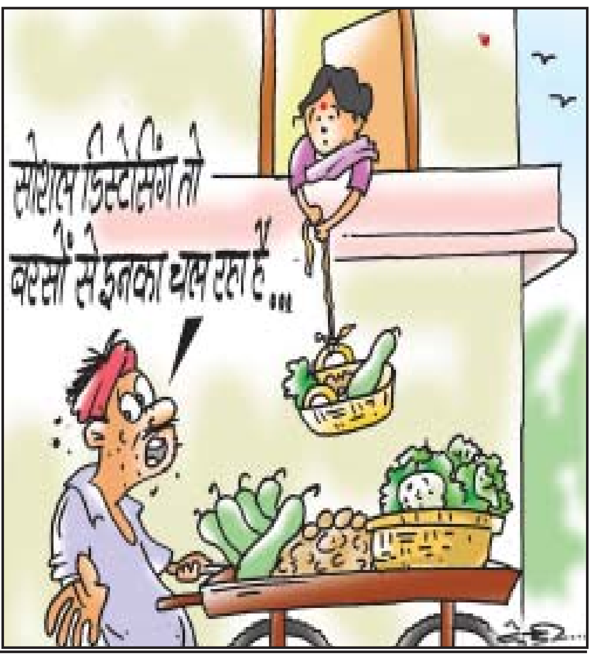

सोशल डिस्टेंसिंग तो
बरसों से इनका चल रहा है...